(31)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1200–एक/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–2–2013 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गोहरगंज जिला रायसेन, प्रकरण कमांक 18/अपील/2010–11.

.....

1–सूरतसिंह चौहान आत्मज स्व0श्री रोशनलाल चौहान
2–बहादुरसिंह चौहान आत्मज स्व0श्री रोशनलाल चौहान
3–साहबसिंह चौहान आत्मज स्व0श्री रोशनलाल चौहान
4–श्रीमती शीलाबाई पत्नी श्री भगवतसिंह
5–श्रीमती विनीताबाई पत्नी श्री मेघराज
सभी निवासी ग्राम तामोट तहसील गोहरगंज जिला रायसेन

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–धनीराम चौहान आत्मज श्री स्व. हरीराम चौहान,
2–श्रीमती हल्कीबाई विधवा स्व0नन्हेंलाल
दोनों निवासी ग्राम तामोट तहसील गोहरगंज,
जिला रायसेन

.....अनावेदकगण

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक– आवेदकगण
श्री अखिलेश तिवारी, अभिभाषक– अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/11 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गोहरगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–2–2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 7 वर्ष 2002 के द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित नामान्तरण व बटवारा आदेश से व्यथित होकर प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 11–3–2011 का लगभग 9 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई एवं विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 18–2–2013 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 25–5–2017 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि उभयपक्ष के अभिभाषक एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः निगरानी मेमों उल्लिखित आधारों पर विचार किया जा रहा है । आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जबाव प्रस्तुत किया गया था कि व्यवहार न्यायालय के निर्णय दिनांक 26–8–89 से संबंधित अपील 23 वर्ष पश्चात् विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जबकि परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत डिकी का निराकरण 12 वर्ष के भीतर होना था इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में त्रुटि की गई है ।

(2) अनावेदकगण ने अपील के साथ व्यवहार न्यायलय के आदेश की डिकी प्रस्तुत नहीं की गई है तथा डिकी पर खसरा नम्बर अंकित नहीं है एवं एकपक्षीय डिकी पारित की गई है जो कि आवेदकगण पर बन्धनकारी नहीं है ।

(3) अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व होने संबंधी कोई अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

4/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । इसके अतिरिक्त प्रकरण में महत्वपूर्ण वैधानिक बिन्दु निहित है जिनका निराकरण किया जाना आवश्यक है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी गोहरगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–2–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर